राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109
Website:www.secharyana.gov.in Phone: +91172 2584810
Email id:sec@hry.nic.in

क्रमांकः एस.ई.सी./3एम.ई./2024/1221–42 दिनांकः–12.09.2024

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।

विषयः– नगरनिकाय संस्थाओं के आम चुनाव उपरांत चुनाव खर्चा रजिस्टर निर्धारित समय पर जमा करने उपरांत सम्बन्धित उम्मीदवार व प्राधिकृत व्यक्ति को पावती देने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा जारी आदेश क्रमांक रा0नि0आ0/3एम0ई0/2020/2238, दिनांक 24.11.2020 के पैरा नं0 6(a) की ओर दिलाते हुये यह वर्णित करूँ कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अन्दर–अन्दर अपना खर्चा रजिस्ट्र सम्बन्धित प्रोफार्मा में भरकर उपायुक्त कार्यालय अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

2. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के आदेश क्रमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2023/304–446, दिनांक 07.03.2023 अनुसार निर्धारित समय अवधि में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना–अपना खर्चा विवरण का लेखा जोखा निर्धारित प्ररूप में जमा न करवाने बारे उम्मीदवारों के विरूद्व हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 की धारा 13एफ के तहत सम्बन्धित उपायुक्त को निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

3. मामले में आयोग के ध्यान में आया है कि सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा सुनवाई के उपरांत अयोग्य किये गये उम्मीदवारों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13जी के तहत अपील की जाती है, तो उस समय अधिकतर उम्मीदवारों द्वारा यह बताया जाता है कि उन द्वारा अपना–अपना खर्चा रजिस्ट्र विवरण सम्बन्धित नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम/रिर्टनिंग अधिकारी अथवा उपायुक्त के कार्यालय में निर्धारित समय अवधि के दौरान सौंप दिया था, किन्तु सम्बन्धित कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उन्हें अपना खर्चा रजिस्ट्र जमा करवाने बारे कोई रसीद/पावती प्रदान नही की जाती है।

4. उपरोक्त स्थिति के मद्येनज़र राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा यह निर्णय लिया गया हैं कि आप सम्बन्धित नगरपालिका/नगरपरिषद/

नगरनिगम/रिर्टनिंग अधिकारी तथा उपायुक्त कार्यालय में सम्बन्धित सहायक लोकल फण्ड् सहायक (एल0एफ0ए0) को यह निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वह चुनाव खर्चा रजिस्ट्र जमा करवाने वाले व्यक्ति को सत्यापित रसीद प्रदान करते हुये उम्मीदवार के खर्चा रजिस्ट्र प्राप्ति में हस्ताक्षर प्राप्त कर लेवें, ताकि आयोग द्वारा सुनवाई के दौरान सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा खर्चा रजिस्ट्र आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सके।

5. इसके अतिरिक्त सम्बन्धित नगरपालिका/नगरनिगम/नगरपरिषद के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देश जारी करें कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा खर्चा रजिस्ट्र जमा करवाने/जमा न करवाने वाले उम्मीदवारो के सम्बन्ध में वह एक स्थाई प्रमाणित रजिस्ट्र तैयार करें जिसमें सम्बन्धित उम्मीदवार के हस्ताक्षर व सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भी हस्ताक्षर हो। प्रोफार्मा का विवरण निम्न प्रकार से तैयार करे :–

क्रम संख्या	**नगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरनिगम का नाम**	**चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम**	**पद/वार्ड नं0**	**खर्चा रजिस्ट्र जमा करवाने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर**	**खर्चा रजिस्ट्र प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पद व पूर्ण हस्ताक्षर**	**टिप्पणी**

6. उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को यह भी निर्देशित करने का कष्ट करे कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अन्दर–अन्दर जिन–जिन उम्मीदवारों द्वारा अपना–अपना खर्चा विवरण जमा करवाया गया, अथवा नहीं करवाया गया से सम्बन्धित पूर्ण सूचना आयोग को सात दिनों के अन्दर–अन्दर भिजवाये ।

भवदीया,

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
पंचकूला। 12/9/2024